न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः– 63 / 2017
प्रविष्टि दिनांकः– 132–11–2017

छीतर पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
..... अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार देवली मुकाम निवारिया तहसील देवलीा जिला टोंक (राज.)
.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार देवली
दिनांक 26–10–2017 मिसल संख्या 865 / 17

उपस्थितः (1)श्री जितेन्द्र टाटावत, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2)श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 22–12–2017

1. संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार देवली ने उनके आदेश दिनांक 26.10.2017 द्वारा ग्राम महाराजपुरा तह0 देवली के खसरा नम्बर 254 रकबा 0:03 हेक्टर भूमि किस्म गे0मु0 रास्ते पर अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2074 में किये गये अतिक्रमण की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर उक्त आराजी से बेदखल करते हुए 15 / –रू0 पेनल्टी आरोपित की है तथा 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत मानते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेण्ट की तलबी जरिये सम्मन की जाकर अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली को मंगवाया गया।

3. अपीलाण्ट ने सबूत दस्तावेजो में नकल निर्णय तहसीलदार देवली दिनांक 26.10.2017 की प्रमाणित फोटो प्रति, मूल नोटिस व जमाबंदी सम्वत 2070–2073 की सत्य प्रतिलिपी प्रस्तुत की है। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न ही मौके का निरीक्षण किया। अपीलाण्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया है, अपीलाण्ट का तथाकथित भूमि से कोई सम्बन्ध भी नहीं है और न ही अपीलाण्ट ने कोई अतिक्रमण कर वर्णित भूमि पर डोल लगाई है। अपीलाण्ट को सजायाब किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है और ना ही विधि अनुसार साक्ष्य सबूत पेश किये जाने का अवसर दिया है। विधि अनुसार उक्त निर्णय पारित नहीं किया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

नोटिस पर अपीलाण्ट की प्रोपर तामील नहीं हुई है और ना ही ऐसा कोई नोटि अपीलाण्ट को प्राप्त हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवश अपीलाण्ट के विरूद्व गलत रिपोर्ट घर बैठकर की गई है, अपीलाण्ट द्वारा कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी नहीं किया है, पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्पीकिंग आदेश भी जारी नहीं किया है, अपने निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी उल्लेख नहीं किया है कि पूर्व में अपीलाण्ट को किस तारीख को उक्त भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल किया गया और अपीलाण्ट द्वारा किस तारीख को उक्त भूमि पर पुनः अतिक्रमण किया। अपीलाण्ट के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं है। अपीलाण्ट को जब पूर्व में बेदखल किया ही नही तो निर्णय पारित कर भारी भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई है। अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त भूमि पर से कब्जा छोडने, किसी भी राजकीय भूमि पर भविष्य में कब्जा नहीं करने एवं पुख्ता निर्माण नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.10.2017 निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में भीं विवादित भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण किया था। पुनः इसी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है जिससे अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्व है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट, भू.अ.नि. की मौका जांच रिपोर्ट से अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार देवली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.17 उचित है एवं अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

6. हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का निवारिया ने अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2074 में ख0नं0 254 रकबा 0:03 हेक्टर भूमि किस्म गै.मु. रास्ता वाके ग्राम महाराजपुरा तह0 देवली पर अनाधिकृत रूप से डोल लगाकर किये गये अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके आधार पर तहसीलदार मालपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 26.10.17 द्वारा अपीलाण्ट को विवादित भूमि से बेदखल करने, शास्ति कायम करने एवं सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि निर्णय में यह अंकित नहीं किया है कि अपीलाण्ट को पूर्व में किस ख.नं0 की कितनी भूमि से पूर्व में कौन से वर्ष में किस मिसल नम्बर द्वारा कब बेदखल किया गया। पत्रावली में बयान पटवारी हल्का में भी अपीलाण्ट को भूमि से कब भौतिक रूप से बेदखल किया था अथवा किस वर्ष अतिक्रमण किया था का अंकन नहीं है। भौतिक रूप से बेदखल करने के सम्बन्ध में निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। निर्णय से यह सिद्व नहीं होता है कि अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है या उसे पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया हो। पश्चातवर्ती अतिक्रमण की पत्रावली भी संलग्न नहीं की गई है और न ही बेदखलीनामा पत्रावली में संलग्न है। धारा 91 के नोटिस पर भी अपीलाण्ट की प्रोपर तामील न करवाई जाकर किसी अन्य की तामील कराई गई है। अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण सिद्व नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा विवादित भूमि से कब्जा हटा लेने व भविष्य में किसी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने व पुख्ता निर्माण नहीं करने का शपथ पत्र भी किया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार देवली द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास की दी गई सजा को माफ किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

आदेश

7. फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार देवली के निर्णय दिनांक 26.10.2017 द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाता है, शेष निर्णय यथावत रखते हुए निर्देशित किया जाता है यदि अपीलाण्ट का भूमि पर कब्जा हो तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रा0 पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 22.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक – राज0